बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR

(A STATE UNIVERSITY)

(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001

Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /**203**/अका./ब.वि.वि./2020 जगदलपुर, दिनांक **12/03/2020**

//विद्यापरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 12.03.2020 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में आहूत की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1.	प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार सिंह , कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष
2.	डॉ. व्ही.के. पाठक कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सचिव
3.	डॉ. के. इंदिरा मूर्ति, प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय
4.	डॉ. शरद नेमा,सह प्राध्यापक अध्ययनशाला ब.वि.वि., जगदलपुर	अध्यक्ष वानिकी एवं वन्यजीव
5.	डॉ. एस.के. दत्ता, सहायक प्राध्यापक शास. काकतीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष प्राणीशास्त्र
6.	श्री व्ही.के.श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक शास. काकतीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र
7.	श्री असीम रंजन सरकार, सहायक प्राध्यापक क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष संगणक
8.	डॉ. व्ही.के. बघेल, सहायक प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष इतिहास
9.	श्री एस.एन. डेहरिया, सहायक प्राध्यापक शासकीय महर्षि वाल्मीकी स्नातको. महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर	अध्यक्ष हिन्दी
10.	सुश्री तस्नीम अख्तर, सहायक प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष अंग्रेजी

11.	डॉ. डी.एल. पटेल, सहायक प्राध्यापक भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	अध्यक्ष भूगोल
12.	डॉ. आनंदमूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक बस्तर विश्वविद्यालय, अध्ययनशाला	विभागाध्यक्ष अंग्रेजी
13.	श्री घनश्याम ठाकुर, सहायक प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष मनोविज्ञान
14.	डॉ. सुकृता तिर्की, सहायक प्राध्यापक बस्तर विश्वविद्यालय, अध्ययनशाला	विभागाध्यक्ष राजनीतिविज्ञान

उक्त सम्मिलित सदस्यों का स्वागत किया गया।

विषय क्रमांक –1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद के पूर्व बैठक के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय –

विद्यापरिषद के सम्माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पूर्व विद्यापरिषद बैठक के कार्यवाही विवरण की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक –2

दिनांक 06.01.2020 को आयोजित भूगोल अध्ययन मंडल की बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुशंसा किया गया है :–

1. शैक्षणिक सत्र 2019–20 में एम.ए. पूर्व भूगोल में स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदकों को स्नातक परीक्षा में भूगोल विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2.श्रीमती अनिता चन्द्राकर के एम.ए. पूर्व भूगोल हेतु पात्रता प्रमाण–पत्र के लिए प्राप्त आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, यह पाया गया कि आवेदिका ने स्नातक परीक्षा बी.एच.एस.सी. गृहविज्ञान से उत्तीर्ण की है, जिसमें भूगोल विषय नहीं रहा है। चूंकि स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सत्र 2018–19 की मुख्य परीक्षा मार्च–अप्रेल 2019 में एम.ए. पूर्व भूगोल की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है। अंकसूची की छायाप्रति संलग्न है। अतः छात्रहित में आवेदिका को उपाधि पूर्ण होने तक आगामी सत्र एम.ए. अंतिम भूगोल की परीक्षा में स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता एवं अनुमति की अनुशंसा अपवाद स्वरूप की जाती है।

3. पी–एच.डी. भूगोल विषय में भी प्रारंभ किया जाना उचित होगा। वर्तमान में पॉच महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विषय में अध्ययन अध्यापन कार्य किया जा रहा है। शोध निर्देशक की पात्रता रखने वाले प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों की उपलब्धता एवं शोध केन्द्र बनाकर एवं शोध निर्देशक नियुक्त कर पी–एच.डी. प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाती है।

4. एम.ए. भूगोल चतुर्थ सेमेस्टर अनिवार्य प्रश्न पत्र भौतिक, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण (Project Report) में आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक दोनो द्वारा 50–50 अंक के आधार पर मूल्यांकन कराये जाने की अनुशंसा की जाती है। इस संबंध में आंतरिक परीक्षक को भी मानदेय (Remuneration) प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

1.1 अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों जहाँ एम.ए. भूगोल में स्वाध्यायी परीक्षा आयोजित की जाती है, से जानकारी प्राप्त किया जाये। तदानुसार आगामी विद्यापरिषद की बैठक में मास्टर ऑफ आर्टस की परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 13 में प्रायोगिक विषयों के संदर्भ में संशोधन हेतु प्रस्ताव रखा जाय।

1.2 श्रीमती अनिता चन्द्राकर के एम.ए. पूर्व भूगोल हेतु पात्रता प्रमाण–पत्र हेतु प्राप्त आवेदन पर अध्ययन मंडल की अनुशंसा ''उपाधि पूर्ण होने तक आगामी सत्र एम.ए. अंतिम भूगोल की परीक्षा में स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता एवं अनुमति'' को मान्य किया गया। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो।

1.3 पी–एच.डी. भूगोल विषय में भी प्रारंभ किया जाय।

1.4 प्रस्ताव अमान्य/निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक –3

बस्तर विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक FN-153 रायपुर/रामआ/19/9073 रायपुर, दिनांक 29.11.2019 के अनुसार अध्यक्ष छ.ग. राज्य महिला आयोग द्वारा आयोग के सम्मिलिन बैठक दिनांक 04.10.2018 में पारित प्रस्ताव के आलोक में छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु की गई अनुशंसा के मान्य किये जाने अथवा अमान्य किये जाने एवं पालन पर की गयी कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

निर्णय :–

आवश्यक कार्यवाही किया जाय।

विषय क्रमांक –4

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेश क्रमांक 5 की कंडिका 10 के अनुसार समस्त संकाय का परीक्षा परिणाम समिति (Result Committee) का गठन निम्नानुसार किया जाना है:–

(i)	Dean of the Faculty Concerned	: Chairman
(ii)	One Chairman Board of Studies	: Member
(iii)	One of the Tabulators Co-coordinators if any for examination of the results of which are to be considered by the Committee. Or one Professor	: Member
(iv)	Registrar	: Member Secretary

उपर्युक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 3 तक के अध्यक्ष/सदस्यों का नियुक्ति करने संबंधी प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत। (प्रस्ताव संलग्न है)

निर्णय :–

समस्त संकाय का परीक्षा परिणाम समिति नियमानुसार गठन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया है।

विषय क्रमांक –5

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में आगामी शैक्षणिक पदों पर यू.जी.सी. के विनियम 2018 के अनुसार सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के इन्टरव्यू के अंकों का निर्धारण।

बस्तर विश्वविद्यालय में आगामी विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया की जानी हैं जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिये एपीआई अंक हेतु न्यूनतम प्राप्तांक तथा यू.जी.सी. विनियम 2010 एवं 2016 में निर्धारित विशिष्ट पात्रता योग्यताओं के साथ–साथ चयन समिति द्वारा वेटेज निम्नानुसार दिये जाने है।

A बस्तर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के इन्टरव्यू के अंकों का निर्धारण

1. **सहायक प्राध्यापक**

(अ) न्यूनतम अर्हता/पात्रता	विनियम 2018 में निर्धारित As per UGC Regulation 2018
(ब) चयन समिति मानदंड/वेटेज (कुल वेटेज = 100) (As per Appendix III Table - II "C" Regulation 2010)	(क) अकादमिक रिकार्ड तथा अनुसंधान निष्पादन (50%) (As per Table 3 "A" Regulation 2018 प्राप्त अंकों का (50%) (ख) डोमेन ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का निर्धारण (30%) (ग) साक्षात्कार निष्पादन 20%)

2. **सह प्राध्यापक**

(अ) न्यूनतम अर्हता / पात्रता	विनियम 2018 में निर्धारित As per UGC Regulation 2018
(ब) चयन समिति मानदंड / वेटेज (कुल वेटेज = 100) (As per Appendix III Table - II "C" Regulation 2010)	(क) अकादमिक पृष्ठ भूमि (20%) (As per Table 2 Regulation 2018 (ख) अनुसंधान निष्पादन आधारित एपीआई अंक तथा प्रकाशन की गुणवत्ता (40%) (ग) डोमेन ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का निर्धारण (20%) (घ) साक्षात्कार निष्पादन (20%)

3. **प्राध्यापक**

(अ) न्यूनतम अर्हता / पात्रता	विनियम 2018 में निर्धारित As per UGC Regulation 2018
(ब) चयन समिति मानदंड / वेटेज (कुल वेटेज = 100) (As per Appendix III Table - II "C" Regulation 2010)	(क) अकादमिक पृष्ठ भूमि (20%) (As per Table 2 Regulation 2018 (ख) अनुसंधान निष्पादन आधारित एपीआई अंक तथा प्रकाशन की गुणवत्ता (40%) (ग) डोमेन ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का निर्धारण (20%) (घ) साक्षात्कार निष्पादन (20%)

B बस्तर विश्वविद्यालय के विभागों / ग्रंथालय में सीएएस के अन्तर्गत शिक्षकों / ग्रंथपाल / सहा. ग्रंथपाल की प्रोन्नति हेतु

बस्तर विश्वविद्यालय के विभागों / ग्रंथालय में सीएएस के अन्तर्गत शिक्षकों / ग्रंथपाल / सहा. ग्रंथपाल की प्रोन्नति के लिये एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षायें आवेदित अभ्यार्थियों के प्रकरण के अनुसार UGC Regulation 2016/2018 के द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

निर्णय :–

(A) प्रस्ताव यथावत स्वीकार किया गया। आवश्यक कार्यवाही किया जाय।

(B) प्रस्ताव यथावत स्वीकार किया गया। आवश्यक कार्यवाही किया जाय।

विषय क्रमांक –5

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई पूरक एजेण्डा।

विषय क्रमांक –1

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की आगामी पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2020 के आयोजन के संबंध में।

विभागीय टीप :–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की आगामी पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2020 के आयोजन की विस्तृत रूपरेखा/कार्ययोजना तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 06.03.2020 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। समिति की अनुशंसा के अनुसार कार्यवाही किया जा सकता है।

निर्णय :–

आगामी पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2020 माह जून–2020 में शोध निर्देशकों एवं शोध केन्द्रों की उपलब्धता/मान्यता को ध्यान में रखते हुए नये विषयों को समाहित करते हुए आयोजित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

12.03.2020

कुलपति 12/3/2020
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

दिनांक 12.03.2020,

दिन – गुरूवार